न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 10 / 2021

तारीख रजू : 30.06.2021

निर्णय दिनांक : 17.02.2025

उनवान:

1. रामरती पत्नी शहिद मेहरचन्द उम्र 74 साल जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....प्रार्थीया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
2. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री महताबसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिती :– श्री दिनेश कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से
श्री राजेन्द्रसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1311 रकबा 51 एयर, 1312 रकबा 44 एयर वाके ग्राम सिरयानी मे के 1/2 हिस्से की तथा खसरा नम्बर 675 रकबा 71 एयर, 1313 रकबा 04 एयर, 1314 रकबा 86 एयर वाके ग्राम सिरयानी तह0 नीमराना सालिम की खातेदार प्रार्थीया है। प्रार्थीया के पति मेहरचन्द फौज मे थे जो देश सेवार्थ शहिद हो गये । प्रार्थीया का नाम परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र व आधार कार्ड आदि मे रामरती पत्नी मेहरचन्द दर्ज है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान मे प्रार्थीया के पति शहिद मेहरचन्द के स्थान पर प्रार्थीया के देवर का नाम दर्ज करते हुऐ रामरती जोजे पृथ्वीसिंह दर्ज कर दिया। जबकि पृथ्वीसिंह मिन प्रार्थीया का देवर है। जिसका नाम मेरे पति के स्थान पर गलत दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी उस समय हुई जब मैने अपनी आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल ली तब उसमे मिन प्रार्थीया के पति के स्थान पर जोजे पृथ्वीसिंह मिला तो मिन प्रार्थीया ने उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी अप्रार्थी सं0 2 को देकर रिकार्ड शुद्ध करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी सं0 2 ने कहा कि आप रिकार्ड को शुद्ध करवालो मेरी जहां की आवश्यकता पडेगी तो मै वहा पर उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर रिकार्ड को दुरूस्त करवा दूंगा। इसलिए मिन प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान मे गलत इन्द्राज को शुद्ध करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से बाद तलवी पैरोकार सरकार उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा अप्रार्थी सं0 2 की ओर से बाद तलवी श्री

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

राजेन्द्रसिंह चौहान उपस्थित होकर अप्रार्थी सं0 2 की ओर से प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो को स्वीकार करते हुऐ जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वंय प्रार्थीया रामरति का व अशोक कुमार,नरेन्द्र के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजीसाक्ष्य के रूप से प्रार्थीया का वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक,प्रार्थीया के पति का सर्विस रिकार्ड की प्रतियां पेश की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

प्रार्थीया के वकील को सुना गया। प्रार्थीया के वकील ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुऐ आराजी मुतनाजा मे प्रार्थीया के पति के गलत नाम को शुद्ध किया जाकर उसके स्थान पर रामरती पत्नी शहिद मेहरचन्द दर्ज किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने वकील प्रार्थीया की बहस पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं 2 द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र मे यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीया के पति का नाम शहिद मेहरचन्द है। लेकिन उक्त आराजी के रिकार्ड मे रामरती पत्नी शहीद मेहरचन्द के स्थान पर रामरती जोजे पृथ्वीसिंह गलत दर्ज कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से गलत इन्द्राज किया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाता है तो मिन अप्रार्थी सं0 2 को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र मे पेश प्रार्थीया के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं आर्मी रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त सभी दस्तावेजात मे प्रार्थीया के पति का नाम मेहरचन्द दर्ज है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1311 रकबा 51 एयर, 1312 रकबा 44 एयर वाके ग्राम सिरयानी के 1/2 हिस्से पर तथा खसरा नम्बर 675 रकबा 71 एयर, 1313 रकबा 04 एयर, 1314 रकबा 86 एयर सालिम वाके ग्राम सिरयानी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड के हाल रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम रामरती पत्नी पृथ्वीसिंह दर्ज किया हुआ है उसे प्रार्थीया के आधार कार्ड,वोटर पहचान पत्र, बैंक पासबुक एवं अप्रार्थी सं0 2 द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर " रामरती पत्नी शहिद मेहरचन्द" दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नीमराना को राजस्व रिकार्ड मे आदेश की पालना के लिए पत्र जारी किया जावे । पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो ।

आदेश आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना(कोटपूतली–बहरोड)